

Castes and Scheduled Tribes of the House for the unexpired portion of the term of the Committee *vice* Shri KG. Bhutia, who died, and do communicate to this House the name of the Member so nominated by Rajya Sabha."

I am to request that the concurrence of Rajya Sabha in the said motion, and also the name of the Member of Rajya Sabha so appointed, may be communicated to this House.

SHORT DURATION DISCUSSION

Plight of Farmers in the Country

श्री जनेश्वर मिश्र (उत्तर प्रदेश): माननीय उपसभापति महोदया, आज से एक हफ्ता पहले हम लोगों ने चेयरमैन साहब के दफ्तर में जाकर निवेदन किया था कि देश भर में खेतिहर लोगों के बीच में हाहाकार मचा हुआ है। लोग आत्महत्या कर रहे हैं, फसलेम सूख रही हैं, कहीं गोलियां चल रही हैं, लोग अपने जानवर बेच रहे हैं, इसलिए इस पर तत्काल चर्चा कराई जाए। मुझे बहुत संतोष हुआ था और वहां बैठे हुए सब लोगों ने दिल खोलकर समर्थन दिया था तथा चेयरमैन साहब ने भी कहा था कि इस पर तत्काल चर्चा कराई जाएगी। किसान के सवाल पर एक हफ्ता विलम्ब से हम चर्चा कर रहे हैं, खेती और किसान की नियति यही रही है। मैं नहीं समझता कि इस पर चर्चा करने से कोई नतीजा निकलेगा और किसान की हालत ठीक हो जाएगी। लेकिन आज इसकी जितनी हालत बिगड़ी है, खेती पर जो बजट का पैसा बनता है, इस पर बहस नहीं करना चाहते हैं, भारत सरकार ने जो कृषि नीति शुरू की है, उस पर भी बहस नहीं करना चाहते हैं, केवल किसानों की दुर्दशा पर बहस करना चाहते हैं। लेकिन बीच में नेता विरोधी दल ने दिल्ली में जो कारखाने बन्द हुए हैं और जो मजदूर सड़कों पर आए हैं इसकी चर्चा उठा दी। ठीक है, उठनी भी चाहिए क्योंकि वह जायज थी। हमने एक दिन और कहा था कि देश के उत्पादन में ही लोगों का योगदान होता है जो पसीना बहाकर योगदान करते हैं। एक तो देश का मजदूर होता है जो मशीन पर पसीना बहाता है और दूसरा देश का किसान होता है जो जमीन पर पसीना बहाता है। दुर्भाग्य यह है कि जो मशीन पर पसीना बहाता है उसका पसीना थोड़ा देर से सूखता है तो लोग जल्दी रड़क पर उतर आते हैं और जो जमीन पर पसीना गिराता है उसका पसीना तत्काल सुख जाता है और उसकी बात को टाल दिया जाता है, यह आज से नहीं, जब से यह सरकार बनी है तब से है। अपने ऊपर आरोप मत लीजिएगा। हम लोगों की जब थोड़े दिनों की पिछली सरकार थी तब से नहीं है बल्कि यह हमेशा से उपेक्षित रहा है। एक तो किसान की रड़क पर निकले की आदत ही नहीं है क्योंकि वह अपने खेत-खलिहानों में फंसा रहता है। अगर फसल सूख जाती है तो भगवान को दोष देने लगता है, सरकार की तरफ देखता भी नहीं है। वह दिल्ली आना पसंद नहीं करता। वह केवल ऊपर देखता है कि और कह देता है कि हमारे भाग्य में यही है। इसलिए शुरू से जब से आजादी मिली है उसकी अहमियत को इन्कार किया गया है। लेकिन अब बहुत दिन नहीं रुकना पड़ेगा क्योंकि नाक से ऊपर पानी जा रहा है। अक्सर खबर छपती है कि किसान आत्महत्या कर रहे हैं। हमने चर्चा के लिए इसलिए नोटिस दिया था कि अखबार में छपा था कि आन्ध्र प्रदेश के अनन्तपुर जिले में एक ही परिवार के आठ

4.00 P.M

लोगों ने जिनकी मुंगफली की फसल बर्बाद हो रही थी, उनकी खेती में डालने के लिए जो कीटनाश दवा दी गई थी, वह असर नहीं कर रही थी, उसको खाकर अपनी जान दे दी। आपके द्वारा दी हुई दवा खेती पर असर करे या न करे, हमारी जिंदगी पर असर जरूर कर जाएगा। मैंने बेचैनी इसलिए महसूस की क्योंकि मेरे बाप भी किसानी करते थे। हम जब भी गांव में जाते हैं तो अपने खेत देखने जाते हैं, किसानी नहीं करते हैं। जब हमने यह खबर पढ़ी तो बेचैनी महसूस हुई थी और चर्चा करवाने के लिए नोटिस दिया था। मेरा ख्याल है कि सारा देश इस बेचैनी के दौर से गुजर रहा है और जबकि देश की 70-80 फिसदी आबादी खेती पर निर्भर करती है, सबके सब बेचैनी के दौर से गुजर रहे हैं। यह केवल वहीं का किस्सा नहीं है, हमारे उत्तर प्रदेश का किसान जिसने आलू तैयार किया, बिहार का किसान जिसने आलू तैयार किया, जब वह कोल्ड स्टोरेज से आलू निकालता है तो जितना खर्चा आया, वह बाजार में उस भाव पर बिक ही नहीं रहा है। कोल्ड स्टोरेज के गेट पर आलू सड़ रहा है, वहां से वह निकल नहीं पा रहा है। हम सरकार को सलाह तो नहीं देना चाहते, लेकिन देंगे। यह प्रबंधन की बात है। कोल्ड स्टोरेज की बोरी वगैरह का दाम जोड़कर किसान को जो आलू का भाव मिलता है वह 200 रुपये मिलता है। पश्चिमी इलाके से लेकर पूरे उत्तर प्रदेश और बिहार में पुराना आलू 200 रुपये प्रति बोरी बिक रहा है।

बोरी का पैसा भी नहीं निकल पाता लेकिन वही आलू दिल्ली में आठ सौ रुपये का बिकता है। यदि प्रबंधन में थोड़ी-सी भी कुशलता होती तो दो सौ रुपये, तीन सौ रुपये या साढ़े तीन सौ रुपये खरीकर दिल्ली में ही पहुंचा दिया होता। इससे दो रुपये का मुनाफा सरकार को भी हो जाता। यह तो प्रबंधन पर निर्भर करता है, मैं तो केवल सलाह दे रहा हूँ। हम जब सत्ता में थे तो ऐसा नहीं करते थे, जो दिल्ली रहते हैं वे भी नहीं करते थे। लेकिन यह सब कितने दिनों तक चलेगा? क्या अनंतकाल तक चलेगा? हम जानते हैं कि जब बहस होती है तो इस सरकार के मंत्री गुस्से में आकर बोल देते हैं कि मनमोहन सिंह जी, आपने जो नीतियां बनाई थी उन्हीं के मुताबिक तो हम चल रहे हैं। हमने खाद्य तेल का आयात आपके जमाने की नीतियों के मुताबिक किया है, 166 की लिस्ट भी आपके जमाने की नीतियों के मुताबिक ही है। मनमोहन जी का मन दुखी होता होगा लेकिन फैसला तो हो गया और देश भी फंस गया। लेकिन क्या आपको याद है कि जब ये आर्थिक उदारीकरण की नीतियाँ आप बना रहे थे तो इस समय जो इधर बैठे हैं उस खराब कहते थे। इसे खराब कहकर आप उधर बैठ गए। आपकी घड़ी की सुई इधर हो गई और जो छोटी वाली सुई उधर रहती थी वह इधर हो गई। हम विरोध में रहेंगे तो उसे बुरा कहेंगे और सत्ता में आ जाएंगे तो कहेंगे कि आपने जो बनाया है उसी का पालन कर रहे हैं। यह ठीक नहीं है। यह लघु बहस कहलाती है। जब बहस नहीं कर पाते तो एक-दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप करने लग जाते हैं। हम यह नहीं चाहते। इनके जमाने में जब विरोध हुआ था तो उन नीतियों को लागू करने में थोड़ी गतिहीनता दिखाई थी, धीमी रफ्तार दिखाई थी। बीच में जब डेढ़, दो साल की सरकार बनी थी तो उसमें हम भी मंत्री थे। हमने भी गतिहीनता दिखाई, उसे लागू नहीं होने दिया लेकिन आज आपकी सरकार खाद्य तेल से लेकर मिल्क पाउडर तक जिस बड़े पैमाने पर आयात कर रही है उससे राजस्थान का किसान, जो सरसों की खेती करता है, तिलहन की खेती करता है, गुजरात का किसान अपने सम्मेलन में कह रहा है कि हमें यह करना चाहिए या नहीं, पंजाब का किसान, जो पशु धन के नाम पर जो बहुत कमाई करता था, खेती के अलावा कमाई जिसे कहते हैं, पाउडर से जैसा दूध और घी तैयार होता है, वैसा भैंस के दूध से उस भाव पर तैयार

नहीं होता इसलिए आज वह अपने जानवर बेचने पर मजबूर हो रहा है। वह खेती नहीं करना चाहता, जानवर नहीं पालना चाहता। चारों तरफ हा-हाकार मचा है।

(उपसभाध्यक्ष(श्री संतोष बागड़ोदिया)पीठासीन हुए)

एक तरफ केरल में नारियल की खेती करने वाले किसान परेशान हैं तो दूसरी तरफ मुंगफली और कपास की खेती करने वाले किसान परेशान हैं साथ ही उत्तर भारत में आलू की खेती करने वाले किसान परेशान हैं, गन्ने की खेती करने वाला किसान भी परेशान है। सरकार के, केंद्र सरकार के चार कारखाने बिक गए। एक साहब, जो उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं उनके बच्चों ने खरीद लिया। कारखाना बंद कर दिया। चार साल से गन्ने का बकाया नहीं दिया है, मजदूरों को तनखाह नहीं दी गई है। जब वे मजदूर और किसान धरना दे रहे थे तो गोली चल गई और एक किसान मर गया। किसान पर गोली नहीं चलानी चाहिए। किसान तो गया जैसा होता है और यह पार्टी तो गो हत्या विरोधी है। गाय को मारना और किसान को गोली से उड़ाना दोनों बराबर हैं। गाय अपने थन का दूध दूसरों को दे देती है केवल थोड़ा-सा अपने बच्चों के लिए बचा लेती है। किसान भी अपनी सारी पैदावार दूसरों को खिला देता है केवल थोड़ा सा अपने लिए रख लेता है। दोनों का चरित्र एक जैसा है। जब वह अपना बकाया मांगने गया तो उसे गोली से उड़ा दिया गया क्योंकि वह बड़ा असर वाला आदमी है, मिनिस्टर है।

वहां उनके नाम की शोहरत भी है, हिम्मत नहीं करते। चले गए सब धरना देने, गोली चली, मर गया। उसके तीन-चार दिन बाद हम लौटकर इलाहाबाद आए। पता लगा कि जौनपुर के मछली शहर में एक किसान के यहां वसूली करने के लिए पुलिस गई। 12 हजार रुपये उस पर थे। वसूली में किसी तरह उसने 10 हजार रुपये जुटाए कि दो हजार हम पांच दिन के बाद दे देंगे। पुलिस ने कहा पूरा दो और ऐसा कहकर उसको पीटना शुरू कर दिया। पुलिस वालों ने उसको बंदूक के कुंदों से इतना मारा कि लल्लन बिन्द नाम का किसान मर गया। एक तरफ तो किसान आत्म हत्या कर रहा है और दूसरी तरफ अगर वह अपना पैसा मांगने जाता है तो वह गोली से मारा जाता है लेकिन जब आप अपना पैसा वसूलने जाते हैं तो दो हजार के लिए आप बंदूक के कुंदों से उसे पीटकर उसकी जान ले लेते हैं। यह दुर्दशा किसानों की है। किस किस की तरफ से हम बहस करें। यह सिर्फ गन्ना किसान की ही बात नहीं है। धान का आपने 550 समर्थन मूल्य कर दिया लेकिन देश में कहीं कहीं वह 250 रुपया में बिक रहा है। आपका समर्थन मूल्य फेल कर गया है, वह बिल्कुल बेकार सा हो गया है। दोष किसी को भी दिया जा सकता है। ब्यूरोक्रेट लोगों ने लेख लिखे हैं कि केंद्र सरकार की नीति तो अच्छी है लेकिन राज्य सरकारें इसको ठीक से लागू नहीं कर पा रहीं हैं। उनको दोष आपके ऊपर से जिम्मेदारी टालने के लिए दिया जा सकता है और यह तर्क अक्सर दिया जाता है। लेकिन इस तर्क से काम नहीं चलेगा। वह मर रहा है और उसको सड़क पर निकलना नहीं आता। वह अबोध बच्चा है। उसको जब चोट लगती है तो वह बता नहीं सकता है कि उसको कहां चोट लगी है। ठीक उसी स्थिति में गांव में खेतों में काम करने वाला किसान होता है। वह अबोध बच्चा है। वह बोल नहीं पाता है। महोदय, खेती के परिवेश से आप निकलकर आए हैं। यह आपकी पृष्ठभूमि रही है। यहां पर अधिकतर ऐसे ही लोग हैं। शहर की पृष्ठभूमि वाले बहुत से कम लोग यहां पर हैं। अधिकतर किसान पृष्ठभूमि के लोग हैं। (समय की घंटी)

उपसभाध्यक्ष (श्री संतोष बागड़ोदिया): आपका पांच मिनट का समय है और आपने

बारह मिनट ले लिए हैं।

श्री जनेश्वर मिश्र: मैं दो-चार मिनट में अपनी बात खत्म कर दूंगा। मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा।

महोदय, हम सब लोगों की गांव की पृष्ठभूमि है। अभी अभी पेट्रोल के दाम बढ़े हैं, मिट्टी के तेल के भाव बढ़े हैं। जब मैं पेट्रोलियम मिनिस्टर था तो हमारे ऊपर दबाव डाला जाता था कि दाम बढ़ायें। लेकिन हमने कहा कि हम नहीं बढ़ायेंगे क्योंकि हम बारहवीं दर्जे तक मिट्टी के तेल के लिए में बढ़े हैं। हम जानते हैं कि हिन्दुस्तान के 60 करोड़ लोग आज भी मिट्टी का तेल जलाकर काम चलाते हैं। उनमें भी अब धनी और गरीब आदमी बन रहे हैं। सर, जो लोहे की लालटेन रखते हैं और मिट्टी का तेल जलाते हैं, जो लालू यादव का चुनाव चिन्ह है, वे धनिक कहलाते हैं और जिस पास माटी की ढिबरी है, जिसमें कपड़े ठूँसा रहता है उसे लेकर जो जिंदगी जीते हैं वे गरीब होते हैं। हमने उनसे कहा कि आप भी धनी और गरीब हो गए? उनके यहां बिजली नहीं गई। शहरों के लिए बिजली की जरूरत है, शहर में बसे हुए लोगों के लिए बिजली की जरूरत है, कस्बों के लिए इसकी जरूरत है लेकिन 60 करोड़ आदमी, जिनके घर में इससे प्रकाश होता है उनके घरों में सरकार ने मिट्टी के तेल के दाम बढ़ाकर अंधेरा कर दिया। उनके घरों में अंधेरा छा गया है। दूसरी तरफ आपने खाद के भाव बढ़ा दिए, डीजल के दाम बढ़ा दिए। इससे किसान को जितना देना पड़ता है उसके मुकाबले उसको कुछ भी नहीं मिल रहा है। आज एक विचित्र किस्म की स्थिति से किसान गुजर रहा है। हम चाहेंगे और हमें आशा है कि नीतीश जी आप जनता के आदमी हैं, भारतीय जनता पार्टी के नहीं हैं। आप एक आंदोलन से निकले हैं। यह सही है कि जितने भी बदलाव के आंदोलन हुए चाहे वह गांधी जी 42 को आंदोलन हो और चाहे जयप्रकाश नारायण जी की समग्र क्रांति का आंदोलन हो, इनमें शुरु में युनिवर्सिटी के बच्चे और मजदूर वगैरह आगे रहते हैं और वे हवा बनाने की ताकत रखते हैं लेकिन आखिर में ऊबकर जब किसान निकलता है तो तब ही वह कामयाब होता है। किसान धीरेधीरे सीख गया है कि हमारी उंगली में रोशनाई लग जाएगी वोट के दिन तो हम दिल्ली का तखता भी पलट सकते हैं, अब जान गया है। वह इस समय बहुत बदहाली में है। हम आपसे निवेदन करेंगे कि उस बदहाली से उसको मुक्त करने की कोशिश कीजिएगा। यह सच है कि हम लोग जो राजनीति करते हैं, बड़े आदमी हो जाते हैं। जो बड़ आदमी हो जाता है उसको विदेशीपन का एक रोग लग जाता है, जो भी मिले, विदेशी मिले। शुरु के दिनों में जब हमें आजादी मिली थी तब हमारे नेता डा. लोहिया ने कहा था कि यहां से विदेशी भाषा को हटाओ। उस समय बड़ा बवाल मचता था। जवाहरलाल जी का जमाना था, मैं तब की बात कह रहा हूँ, वह फंसी की फंसी रह गई लेकिन अब तो विदेशी दौलत, केवल दौलत ही नहीं इलाज के लिए विदेशी डाक्टर, हिन्दुस्तान के डाक्टर बेकार हो रहे हैं, विदेशी डाक्टर ही नहीं, इन लोगों की तरफ भी इशारा कर दूं नेता बनाने के लिए विदेशी व्यक्तित्व। हम लोगों में विदेशीपन का रोग लगा हुआ है। इससे हम लोगों को मुक्त होना पड़ेगा। मैं दोनों से कहूंगा कि आप की तरफ कहूंगा कि अगर विदेशी दौलत से, विदेशी माया से मुक्त नहीं पाओगे तो मुल्क की जमीन को पहचान नहीं पाओगे और इन लोगों से कहूंगा विदेशी व्यक्तित्व से अगर मुक्त नहीं हो पाओगे तो इस देश को मिट्टी को पहचान नहीं पाओगे। किसान उब चुका है, परेशान है, यह सड़क पर आना चाहता है, सड़क पर आ जाएगा, तो आप तो जयप्रकाश के आंदोलन की उपज हैं, फिर वही नारा लगता हुआ आएगा सिंहासन खाली

करो, जनता आती है। इसलिए उसकी बदहाली को दूर करने के लिए यहां चर्चा में थोड़ा समय निकल जाए या नहीं निकल जाए, संसदीय लोकतंत्र में यह जो ओब्सट्रक्शंस आया करते हैं, इनको मैं पिछले तीस सालों से भोग रहा हूं, लेकिन एक नतीजा निकलना चाहिये, इसके बारे में आप, नेता विरोधी दल और दूसरे दलों के लोग बैठ कर के किसान की बदहाली को दूर करने के लिए कोशिश करें। कई रास्ते निकल सकते हैं अगर बातचीत की जाए और उसके जरिये हम चाहेंगे विदेशी पूंजी को आप मंगाइये, मंगानी तो है, मंगाने के लिए पहले से ही लिख कर आपने दे दिया है लेकिन विदेशी पूंजी की हमारी कमाई और हमारी पूंजी पिछलग्गू बन कर नहीं रहे, उससे हमेशा मुक्ति रखिये तभी यह देश उभर सकता है। धन्यवाद। उपसभाध्यक्ष जी, आपको मैं ज्यादा परेशान नहीं करना चाहता।

उपसभाध्यक्ष(श्री संतोष बागड़ोदिया): बहुत बहुत धन्यवाद।

DR. MANMOHAN SINGH (Assam): Mr. Vice-Chairman, Sir, we are discussing an issue which has profound implications for the lives of a great majority of our people because, even today, agriculture provides employment to more than 65 per cent of India's population. It is also essential that in view of what is happening in agriculture, particularly to agricultural prices, and the incidence of floods and droughts, we rise above parties and politics to analyse the situation objectively so that when the discussion concludes, we have some concrete things to suggest to the Government to ameliorate the condition of our farmers.

Sir, there is no doubt that there is acute distress among the farmers in nearly all parts of the country. Several States have witnessed suicides among farmers. In several States like Punjab, Haryana, and Western Uttar Pradesh, we have seen the spectacle of farmers not being able to sell their produce at Government-fixed procurement price, and in sheer distress, farmers have been forced to sell paddy to private traders, to owners of shelters, at prices much below the prices fixed by the Government as procurement price. There have also been instances where the same private traders, in collusion with the officials in charge of procurement, purchase foodgrains from farmers at prices lower than the procurement prices and resell the same at official prices, thereby cheating the farmers. I know of instances in Punjab where farmers have not been able to sell their produce even for two weeks. They wait in *mandis* week after week. We have seen the tragic instance that, before the commencement of the procurement season, the high officials of the Food Corporation of India went to Punjab and spread the rumour that the produce of the farmers of Punjab was not fit for being procured. The

Punjab Government, in sheer distress, asked the Punjab Agriculture University to look into the matter. The Punjab Agriculture University is the top university in matters of agricultural sciences in our country. They certified that the moisture and other problems that the FCI officials were talking about, were within tolerable limits. But the mischief was done, and the result was that, despite official protestations, the official agencies were slow in procuring foodgrains. There have been instances of disputes between the agencies of the Punjab Government and the agencies of the FCI. as to how much paddy was procured. And who was the sufferer? The sufferers were the farmers.

Sir, we have to ask ourselves as to why this situation arose. We have read in the newspapers that the hon. Agriculture Minister is trying to put all the blame on me. I would not deal with that subject in great detail. I do want to make some constructive contribution. The first thing that I do want to say is, this is not a crisis of over production. We know that in 1990, the rate of growth of agricultural production in our country was lower than the rate of growth of agricultural production in the 80's. We all know that the recent food crisis is not a crisis of over-production of wheat and rice. In fact, the food production in our country reached a peak in 1998-99. Since then, there has been a marginal fluctuation. So, the question then arises is, why this distress, why this downward pressure on prices of staple foodgrains. If this pressure is not dealt with effectively, there is a danger that India's food security system will be in for a big shock.

The hon. Minister is reported to have said that this was because of the WTO regime. Sir, it is certainly true that the WTO Agreement was signed when our Government was in power. But we took all possible precautions so that the implementation of that Agreement will not hurt the country's farming interests. At that time, we had quantitative import restrictions on almost all agricultural commodities. We also made sure that when tariffs became the only instrument of protection, agricultural commodities will bear a minimum tariff of 100 per cent, processed goods will bear a tariff of 150 per cent, and edible oils will bear a tariff of 300 per cent. Sir, I have seen a number of reports prepared by agricultural experts in our country. For example, people like Dr. Ashok Gulati, who is one of our top experts in these matters, has said that a 50 per cent protection for India's farming community would be adequate in the present situation. But we did not stop there. We got higher levels of protections i.e. bound rates from the WTO, which, I sincerely believe, would protect our farming

interests. It is not true to say that India has been overwhelmed by agricultural imports. I have seen recent statistics. They do not support the view that large-scale imports of agricultural commodities have taken place, but it is certainly true that imports of edible oils have increased very substantially, and they have, therefore, posed a threat not only to the soyabean farmers in Madhya Pradesh, the coconut farmers in Kerala, but also to producers of oilseeds in several parts of our country.

These imports have taken place not because of what we did, but because of the failure of the present Government to adjust import duty rates in time. You have the option to raise duties on edible oil to the extent of 300%. We saw only three days ago, the hon. Finance Minister came to this House to lay on the floor of this House a notification of marginally tinkering with the duty rates on edible oil. So, I charge this Government that if you are worried about the state of our agricultural economy, do not try to pass the blame to what was done in 1994. It is largely and mostly because of the negligence of this Government, and because of lack of knowledge on its part about what is truly happening in the agricultural economy of our country.

The hon. Agriculture Minister is reported to have said that QRs were removed when the Congress Government was in power. I think, that is a totally wrong statement. When we were in office, the balance of payments protection was there. We also made sure that even if these QRs would ultimately be phased out, they will not be phased out till 2003 it is the present Government which signed a bilateral agreement with the United States to phase out these quantitative restrictions in the year 2000 and 2001? It is the present B.J.P. Government which in December, 1999, -maybe, as a fall out of the Pokharan tests, maybe, they wanted to placate the United States - entered into a bilateral agreement with the United States Government to phase out the quantitative import restrictions in 2001, even though there was an agreement with the European Union, with Australia and with most other countries that we could keep these quantitative import restrictions until the year 2003. Therefore, Sir for the hon. Minister to say that the Congress Party was responsible for the current farming crisis, is a totally wrong statement.

But it is not my intention, Sir, to enter into partisan polemics. I do want to say that India's agriculture is standing at crossroads. It is not a crisis of over-production, it is not, by and large, a crisis of over-imports. I think what has gone wrong is the system of procurement, the system of

marketing. What you have done, I think, in a mistaken enthusiasm, is that you have cut down subsidy, and that way you have handled the system of public distribution. When, some months ago, you raised the issue prices of foodgrains, I had at that time, maybe, in this House itself warned that what you are going to do is going to create a situation where people do not have the purchasing power to purchase the foodgrains, but your godowns will be over-filled with grains which you will not know what to do. That is precisely what has happened. The way the procurement agencies are functioning, the whole operations of the FCI, the mounting food stocks, the way you calculate the economic cost, they burden our people year after year with the cost of holding the stocks; and then you say, well, our economic cost is so much, you want to pass that on either to the Budget or to the public at large. There are too many contradictions inbuilt into the present system. So, I respectfully submit to the hon. Minister to have a fresh look at the issue prices, have a fresh look at the system of procurement, and if you still are left with surplus stock, have a massive Food for Work Programme in the country. I think, there- is still a considerable amount of hunger in our country. If we have 44 million tonnes of foodgrains in our stock, this is an opportunity to abolish at least abject poverty and abject hunger, and particularly, in those parts of India which have the concentration of tribal population. A massive Food for Work Programme can be started. In the same way, the issue prices of foodgrains should be re-looked.

In 1995, the Congress Government had started a nation-wide Programme of Mid-Day Meal for all school children in our primary schools. I think, that Programme, as has been pointed out in the Report by the Operations Research Group of Baroda, is languishing. I suggest to the hon. Minister to expand the operations of the Mid-Day Meal Programme. You will kill two birds with one stone. You will reduce the food stock. You will improve the nutrition levels of our children. In the process, you will also improve the school attendance. So, these are the constructive responses that I urge the hon. Minister to consider.

But, Sir, we must go beyond that. The situation on the agricultural front is not at all cheerful. The present Government launched, with a great fanfare, the Kisan Credit Cards. We welcome that. To survive and to flourish, our agriculture needs streamlined and improved credit facilities. But what is the reality on the ground? I have figures culled out from the Latest annual Report of the NABARD about what is happening to agricultural credit in our country. For the last three years, the growth of

agricultural credit has slowed down, year after year. In 1997-98, the growth of credit to agriculture was 21 per cent, in 1998-99, it was 15 per cent. In the year 1999-2000, it was no more than 13 per cent. Mr. Minister. Sir, you have the opportunity of implementing a Report, an important Report, prepared by the Reserve Bank of India about revitalisation of the cooperative credit structure. We know that in several parts of our country, the co-operative credit movement, on which our farmers depend for a large share of credit, is moribund because of overdues. The Reserve Bank has prepared a Report to revitalise the co-operative credit system. This is an opportunity. If you are really worried about the state of agriculture, you should act immediately to implement the Report that has been submitted by the Reserve Bank of India only two or three months ago.

Again, Mr. Minister, if you are really worried about the state of our agriculture, you ought to be doing something concrete about the imbalance that has arisen with regard to the application of fertilizers in our country. We all know that the ideal NPK ratio is 4:2:1. But what is the actual state? When I look at the figures of 1999-2000, the NPK ratio is 7.1:2.8:1. If we do not correct this imbalance in the use of fertilizers, we will be hurting the long-term growth of the productivity of our agriculture. We would also be creating an environmentally unsustainable situation. I, therefore, urge upon you that you should do something, on a priority basis, about this unbalanced use of fertilizers in our country.

We all need a more diversified agriculture. But what is happening? I look at the production of pulses in our country. For the last six years, there is no growth in the production of pulses in our country. In 1995-96, the country produced 12.3 million tonnes of pulses; in 1996-97, 14.2 million tonnes; in 1997-98, 13 million tonnes; in 1998-99, 14.8 million tonnes, and last year, we are again back to 13 million tonnes, the same production level that was some five years ago. If there is an imbalance in the production structure, we need to lay more emphasis on the production of pulses, more emphasis on the production of floriculture, more emphasis on the production of vegetables, fruits and sericulture and all these other related activities that would add to the resilience of India's farmers.

About animal husbandry, in our country, we have 16 per cent of the world's cattle.

I learn that 9.8 million principal workers are engaged in the animal husbandry activity. About 8.6 million additional persons are engaged in this activity, at a subsidiary level. We take pride in the fact that we are the

world's largest producer of milk. Yet, if we have to raise the standard of living of our farmers, I think, we need a broad-based national plan for animal husbandry development of our country. You have talked about that in your National Agricultural Policy. But that is a policy about brotherhood and patriotism. It says certain things. But if one searches for anything in that Plan, it is in vain. We do not find any concrete programme. And more fundamentally, the crisis of our agriculture is the crisis of low investment. Year after year, in the public sector, the rate of capital formation in agriculture is going down. Of course, you can say that you inherited that problem. The gross capital formation in agriculture started declining in 1980. But after 1991-92, we reversed that trend. But it is said that today public sector is investing less than adequate amount in agriculture. Why is it that you find that since 1994-95, public sector investment in agriculture has been going down? If you are really serious about the development of agriculture and the Planning Commission, you must persuade the Finance Ministry, to reverse this trend. That would be a concrete indication of your love for the farming population of our country.

I conclude by referring to the three major revolutions in science and technology which, if used intelligently, can transform our agriculture, particularly, for precision farming in a fundamental way. These are: the gene revolution, the information and communication revolution and the eco-technology revolution, that is, an integrated management of the natural resources and the eco system. What do we need for that? We need a new approach, a new orientation to agricultural research and extension services. I note with deep regret about the things that are happening in the agriculture research system. You have removed the top agricultural scientist of our country, without any notice. Look at the demoralisation it has spread all round in the scientific community in agriculture. No less a person than Dr Swaminathan and a large number of other scientists have condemned this move because this is the move which, I think, consciously or unconsciously, will demoralise the scientific community. But I don't want to go into that matter. But if you really wish to make an effective use of the new revolutionary developments in science and technology, to modernise and expand our agriculture, then, we need farmers' effective participation - determining the research and extension agenda. We need to address the technology needs of dryland and rain-fed farming much more effectively than we have done in the past. We need to devise location specific, skill-based and knowledge-based technologies suited to different agroclimatic regions.

The Finance Minister is not here. In his Budget Speech, he had talked about establishment of a National Land Use Commission. Nine months have passed. I would like to know from you, Mr. Agriculture Minister, have you been able to implement that particular decision of the Finance Minister? If not, why have you not implemented it?

When I was the Deputy Chairman of the Planning Commission, we had worked out a programme to divide our country into seventeen agro-climatic zones. Our idea was that we would work out technological choices, crop patterns, rotation patterns suitable for each of those seventeen zones. I would like to know from you whether that work has been carried forward, or, that work is now again in a state of neglect.

These, Sir, are some of the issues which I would like the hon. Agriculture Minister to address. The welfare of our farmers is not a partisan matter. If the Minister has concrete ideas, if he comes forward with concrete programmes and strategies to implement the vision that he has set out in the National Agriculture Policy, I can assure him that we will not be wanting in supporting all legitimate measures which would enhance the welfare, productivity and production potential of India's farming community. It was Oliver Goldsmith, I think, who said: "A bold peasantry is their country's pride, and once destroyed, can never be supplied." Panditji himself said once "Everything else can wait, agriculture cannot wait," and our party stands committed to doing all that is possible to promote the welfare of India's farmers. In that, we will not be found wanting.

श्री विक्रम वर्मा(मध्य प्रदेश): उपसभाध्यक्ष महोदय, कृषि और कृषकों की स्थिति पर आज इस सदन में चर्चा हो रही है। मैं इस संबंध में सूचना देने वाले सारे माननीय सदस्यों का तो आभारी हूँ ही लेकिन माननीय कृषि मंत्री जी का भी हूँ जो इस माध्यम से जो नेशनल एग्रीकल्चर पॉलिसी है और जो अभी तक के हालात हैं उसके बारे में सारे तथ्य सदन के सामने रख सकेंगे। महोदय, मैं अपनी बात एग्रीकल्चर पॉलिसी के इन शब्दों से प्रारम्भ करना चाहूँगा।

Agriculture is a way of life, a tradition, which, for centuries has shaped the thought, the outlook, the culture and the economic life of the people of India.

यह वास्तव में हमारे देश की कृषि का, कृषक का और हमारे ग्राम्य जीवन का एक दर्शन इसमें आया है, क्योंकि यह अपने आप में सत्य है कि इस देश के अंदर सारी विभिन्नताओं के होते हुए भी अनेक प्रकार के प्रहार, विदेशी आक्रमण सब कुछ होने के बाद भी यदि एक जीवंत राष्ट्र के रूप में इसका अस्तित्व रहा है तो निश्चित रूप से इसके पीछे हमारी यह कृषि आधारित अर्थव्यवस्था के कारण इन सारे झंझावतों को झेलने में सफल रही हैं और इसलिए यह जो अक्षुण्णता राष्ट्र के रूप में रही उसका बहुत बड़ा पूरा आधार इस रुरल इकोनॉमी को हम कह सकते हैं। जब हम रुरल इकोनॉमी की बात करते हैं, हमारे देश की वास्तव में जो रुरल

इकोनॉमी है तो वह कृषि पर ही निर्भर है और कृषि के कारण ही है। यहां तक कि केवल इकोनॉमी नहीं, हमारा कल्चर, हमारा ट्रेडिशन, वे आफ लाइफ अगर इन सब को भी देखें तो इसमें वह परिलक्षित होती है। आप हमारे यहां के सांस्कृतिक मेलों को देखें, उत्सवों को देखें वह भी जब-जब फसल आती है उसके साथ ही जुड़े हुए हैं। चाहे केरल के अंदर ओनम हो, चाहे पंजाब में बैसखी का मेला होता हो, चाहे आसाम के अंदर बीहू हो, यह सब कृषि संस्कृति के अंग हैं और यह सारा हमारा वे आफ लाइफ उसके साथ है। इसलिए बाकी के सारे जितने भी आक्रमण हो चाहे वे आर्थिक भी हो उन सबसे हम सफलतापूर्वक निबट पाए केवल इस कारण क्योंकि हमारी अर्थव्यवस्था कृषि आधारित थी। अभी अणु विस्फोट के बाद में जब हमारे ऊपर अनेक प्रकार के प्रतिबंध लगाए गए तब भी इसी कारण सारी समस्याओं से हम निबट पाए हैं। क्योंकि हमारी एक जीवन पद्धति है, हमारी सांस्कृतिक पहचान हमारे दर्शन के रूप में है। लेकिन आज यही हमारी चिंता का विषय है। आज जिस प्रकार से इस को लेकर सारा हल्ला हो रहा है, आज जो स्थिति को बनी हुई है उसके बारे में हमें जरूरी निश्चित रूप से विचार करना पड़ेगा क्योंकि आगे आने वाली सारी परिस्थितियों का हम मुकाबला तभी कर सकते हैं जब तक हम किसान की स्थिति को सुदृढ़ नहीं करेंगे, आर्थिक स्थिति ठीक नहीं करेंगे, इन सबसे निबटने के लिए हम उसको सक्षम नहीं बनाएंगे तब तक निश्चित रूप से हम इन सारी बातों का सामना नहीं कर सकते।

आज कृषि और किसान दोनों की हालत अच्छी नहीं है, उसका विवरण मैं नहीं देना चाहूंगा। लेकिन एक बड़ी विसंगति इस बार देखने को मिल रही है। एक तरफ तो हमारे भंडार में अन्न रखने के लिए जगह नहीं है और दूसरी तरफ बेतहाशा अन्न का उत्पादन हो रहा है, पैदावार बढ़ रही है। आज हमारे पास सरप्लस फूड है लेकिन दूसरी तरफ किसान गरीब होता चला जा रहा है। किसान की हालत अजीब होती चली जा रही है। पंजाब में गेहूं और धान पैदा करने वाले किसान परेशान हैं तो उत्तर प्रदेश में आलू पैदा करने वाले किसान बेहाल हैं। किसान को फसल का कोई खरीददार नहीं मिल पा रहा है। कभी प्याज के दाम आसमान छूते हैं तो उसके कारण चुनाव के दौरान सरकार का स्वरूप ही बदल जाता है। थोड़े दिन बाद, महीने, दो महीने, चार महीने के बाद उसी प्याज की हालत यह हो जाती है कि उसे कोई खरीदने वाला नहीं मिलता है। महाराष्ट्र में लासन गांव के किसानों को सड़कों पर आने के लिए मजबूर होना पड़ता है कि उन्हें प्याज की उचित कीमत नहीं मिल पा रही है। मध्य प्रदेश के मालवा में सोयाबीन खरीदने वाला कोई नहीं है। तिलहन का वहां पर दिवाला निकल गया है। वहां पर राज्य सरकार का तिलहन संघ खरीदी के लिए सामने आने के लिए तैयार नहीं है। ऐसी स्थिति वहां पर बनी हुई है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि आन्ध्र प्रदेश के कपास उत्पादक किसानों की हालत बहुत खराब है। वहां के किसानों द्वारा आत्महत्या करने की खबरें रोजाना आती रहती हैं। इस प्रकार की परिस्थिति इस देश बनी हुई है। देश में गन्ना उत्पादक किसानों को किसी भी जगह पर कोई भी गन्ना मिल समय पर पैसा नहीं देती है। किसान को अपने गन्ने के पैसे लेने के लिए एक साल, दो साल तक भटकना पड़ता है। ऐसी दुखद स्थिति हमारे किसानों की बनी हुई है। एक तरफ हम कह रहे हैं कि हमारा प्रोडक्शन बढ़ रहा है और दूसरी तरफ इस प्रकार की स्थिति है। माननीय उपसभाध्यक्ष जी, मैं यह कहना चाहूंगा कि आखिर ऐसी स्थिति कोई एक दो दिन में तो नहीं बनी है या हम कह दें कि इस सरकार के कारण यह हो रहा है, ऐसी बात नहीं है। इस सरकार की स्थिति तो यह है कि इस सरकार के समय में दो साल में करीब चार क्रॉप्स आई होंगी, दो खरीफ की और दो रबी की। केवल दो क्रॉप्स के कारण यह परिस्थिति निर्मित नहीं हुई है। आज जो किसानों की

हालत है, जो परिस्थिति है उसके लिए देश पर 40 साल तक राज करने वाली पार्टी भी जिम्मेदार है, वह अपनी जिम्मेदार से भाग नहीं सकती है। क्या वह इससे इन्कार कर सकती है कि हम इसके लिए जिम्मेदार नहीं हैं? आखिर इस सैक्टर को आपने उपेक्षित क्यों छोड़ा? एग्रीकल्चर सैक्टर में प्रारम्भ से जितना इन्वेस्टमेंट होना चाहिए था वह नहीं किया गया, उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया गया। पुछले 50 साल में किसानों के लिए हम कृषि नीति नहीं बना पाए इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या होगा? हम बार बार लोक सभा और राज्य सभा में कहते रहे कि यह देश एक कृषि प्रधान देश है, लेकिन देश को एक कृषि नीति नहीं दे पाये। मैं माननीय कृषि मंत्री जी को धन्वाद दूंगा, इस सरकार को धन्वाद दूंगा कि वह पहली बार एक कृषि नीति का ड्राफ्ट सामने लाई है। हो सकता है कि उसमें कुछ गलतियां हों, कुछ कमियां हो, लेकिन इंटरैक्शन से, चर्चा से उन कमियों को दूर किया जा सकता है। पहली बार एक कृषि नीते के रूप में, चिन्ता के साथ में, गंभीरता के साथ में, गंभीरता के साथ में आने वाले समय की दिशा तया करने के लिए, आने वाले समय में हमारी प्रायोरिटीज क्या होगी, हम किस प्रकार से इस सैक्टर पर ध्यान देना चाहते हैं उसका कम से कम एक डाक्युमेंट तैयार करके, उस पर चर्चा करके, उसके आधार पर नीति तय कर सकेंगे, उसके आधार बजट बना पायेंगे। यह एक शुरुआत हुई है और उसके लिए हमारे मंत्री जी निश्चित रूप से धन्यवाद के पात्र हैं। हम चाहे जो भी बात कर लें लेकिन माननीय उपसभाध्यक्ष जी, इससे कोई इन्कार नहीं कर सकता है कि राज्यों की जो जिम्मेदारी थी वे उससे पछड़ गए हैं। कृषि का उत्पादन बिना बिजली के और बिना पानी के संभव नहीं है। आज हम देख रहे हैं कि बिजली की स्थिति ठीक नहीं है। हर एक स्थान पर आंदोलन नहीं करते हैं। एक ही दिन में 18 अक्टूबर को मध्य प्रदेश के सभी जिला मुख्यालय पर लगभग साढ़े तीन लाख किसानों ने गिरफ्तारी दी क्योंकि किसानों को बिजली नहीं मिल रही थी। उनको मुश्किल से दो-तीन घंटे बिजली मिलती है। हम नौवीं पंचवर्षीय योजना पूरी करने जा रहे हैं, लेकिन आज भी आप राज्यों के आंकड़े उठाकर देखें तो पायेंगे कि सातवीं योजना में जो इरीगेशन की स्कीम्स थीं वे आज तक भी पूरी नहीं हुई हैं। हम बड़ी-बड़ी बातें करते हैं लेकिन जो प्राइमरी आवश्यकता है, जो प्राथमिक आवश्यकता है, जो किसानों के लिए जरूरी है, उसके बारे में कोई चिन्ता नहीं है। अगर हम सारे फिगरश को उठाकर देखें तो पायेंगे कि गवर्नमेंट सैक्टर में इरीगेशन पर जितना इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ है उससे ज्यादा किसानों ने प्राइवेट सैक्टर से कर्जा लिया है। प्राइवेट सैक्टर में इरीगेशन ज्यादा हुआ है उससे ज्यादा किसानों ने प्राइवेट सैक्टर से कर्जा लिया हुआ है। प्राइवेट सैक्टर में इरीगेशन ज्यादा हुआ है और इस क्षेत्र में सरकार का कंट्रीब्यूशन कम हुआ है। किसान जब सहकारी बैंक से या बाकी इंस्टीट्यूशन से कर्जा लेता है तो वे किसानों के ऊपर चक्रवर्ती ब्याज लगा देते हैं। उनका हर तीन महीने में ब्याज जोड़ा जाता है, तीन महीने में उस ब्याज को फिर मूलधन में जोड़ दिया जाता है और फिर उस पूरे पैसे पर ब्याज लगा दिया जाते हैं। यह आज कोआपरेटिव सैक्टर की स्थिति है। किसान आज भी चक्रवर्ती ब्याद में, कोआपरेटिव सैक्टर में फंसा हुआ है। हम इतने बड़े कोआपरेटिव सैक्टर की बात करते हैं कि हम उनको नाबार्ड से कम ब्याज में पैसा दे रहे हैं। लेकिन मध्य प्रदेश के अंदर 1977 में जब जनता पार्टी की सरकार बनी थी, उस समय यह नियम बनाया गया था, यह ऐक्ट पास किया गया था कि ब्याज मूलधन से ज्यादा नहीं होगा। मूलधन जमा ब्याज, ब्याज डबल नहीं हो सकता, उससे ज्यादा वसुल नहीं कर सकते। लेकिन अभी तीन दिन पहले मध्य प्रदेश की कैबिनेट ने डिस्मिशन किया है कि इस प्रोवीजन को हम हटाएंगे क्योंकि कोआपरेटिव बैंकों की हालत खराब हो रही है। अब अगर आपके अन्य खर्चों के कारण ऐसा हो रहा है और आप किसान पर इतना ब्याज लादते जाए जो मूलधन से दुगुना-तीगुना हो जाए तो

कैसे चलेगा? भूमि विकास बैंकों में यह स्थिति बनी हुई है। आज किसानों की हालत खराब है। इस बारे में निश्चित रूप से केन्द्र सरकार को विचार करना चाहिए कि सेंट्रल कोऑपरेटिव ऐक्ट में ही इस बात का प्रोवीजन डाल देना चाहिए कि कहीं भी ब्याज मूलधन से ज्यादा कोई भी स्टेट गवर्नमेंट नहीं ले सकती। कोई भी कोऑपरेटिव सोसायटी इससे ज्यादा ब्याज नहीं ले सकती। जब तक आप यह प्रावधान नहीं करेंगे, तब तक राज्य सरकारें इसका दुरुपयोग करती रहेगी और चक्रवर्ती ब्याद के चक्कर में किसान बर्बाद होते चले जाएंगे आखिर इस स्थिति में किसान कैसे जिंदा रह पाएंगे? पचास साल में इस पर विचार नहीं किया गया। इस संबंध में क्या कदम उठाए जाने चाहिए, इस बारे में विचार नहीं हुआ और आज हम सारा दोष एक-दो परिस्थितियों पर डालने की कोशिश कर रहे हैं। इस नयी कृषि नीति में कुछ उपाय सुझाए हैं। यह बात ठीक है कि यह एक दो दिन में लागू नहीं होगा, इसमें लम्बा समय लगेगा। स्वयं माननीय मंत्री जी ने डाक्यूमेंट में लिखा है कि इसमें कम से कम दो डिफेंड लगेंगे। इतना लम्बा समय किसान इंतजार नहीं कर पाएगा, उसकी हालत खराब हो जाएगी इसलिए तत्काल ही कुछ राहत की आवश्यकता है। जब तक ये नीतियां लागू नहीं होती, जब तक उसके परिणाम सामने नहीं आते हैं, तब तक इस बारे में जरूर विचार करना पड़ेगा। महोदय, आपने 4 परसेंट ग्रोथ बढ़ाने का फैसला किया है। लेकिन जब तक बिजली और अन्य सुविधाओं उन्हें नहीं मिलेगी, तब तक उनकी स्थिति में सुधार नहीं हो सकता। इसके लिए आपने जो कई प्रकार के मेजर्स ऐग्रीकल्चर पॉलिसी के पेज नम्बर दो पर दिये हैं, उसमें आपने इस संबंध में कई सुझाव दिये हैं। लेकिन इन सबका इम्प्लीमेंटेशन हम कितनी तेजी से कर सकते हैं, उस दिशा में हमको सोचना पड़ेगा। महोदय, इसी प्रकार से आपने इसमें लिखा है **Constructive use of surface and ground water would receive the highest priority.** मैं ने वही बताया कि एक तरफ आप कह रहे हैं कि हाईरेस्ट प्रायोरिटी दी जाएगी। दूसरी तरफ स्थिति यह है कि जो सातवीं पंचवर्षीय काल की सिंचाई योजनाएं हैं, वे पूरी नहीं हो पा रही हैं। यदि हम इसको ज्यादा फंडिंग नहीं करेंगे, ज्यादा इरीगेशन की सुविधा नहीं देंगे तो यह नहीं हो सकता है। इसके साथ ही आपने कहा है **Emphasis will be placed on promotion of water harvesting,** क्योंकि आज वॉटर लैवल नीचे जा रहा है। किसान बेतहाशा ट्यूबवैल्स खोदते जा रहे हैं क्योंकि सरकारी सिंचाई सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। आज स्थिति यह है कि एक-एक खेत में दो-दो चार-चार, पांच-पांच एक के बाद एक ट्यूबवैल खुदते चले जा रहे हैं और वॉटर लैवल नीचे जा रहा है। आज मध्य प्रदेश का मलवा इलाका जहां कभी सूखा नहीं पड़ता था, वहां इस बार इतना जबर्दस्त सूखा पड़ा है कि लोग रबी की फसल नहीं बो पा रहे हैं। इसलिए वॉटर हारवैस्टिंग के बारे में ध्यान देना होगा। उसके लिए निश्चित रूप से आपने इनफैसिस रखा है, जिसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ लेकिन बाकी के संसाधन जुटाने के लिए भी सरकार को आगे आना पड़ेगा। माननीय उपसभाध्यक्ष जी, गोवंश की भी बात इसमें बताई गई है, बाकी के सारे प्वाइंट्स मैं नहीं कहूंगा, केवल मुख्य मुद्दों पर बोलूंगा। ऐनीमल हजबैंडरी के बारे में, फिशरीज के बारे में ध्यान देना होगा जो इम्प्लॉयमेंट जेनरेट कर सकते हैं। एक तरफ यह स्थिति है, दूसरी तरफ गोवंश का नाश हो रहा है। नये-नये स्लॉटर हाउस खुल रहे हैं। उसके बारे में सरकार को सोचना पड़ेगा। आज जब किसान सूखे से पीड़ित है आप राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात चले जाइए, वहां से इतने पशु बाहर कटने के लिए जा रहे हैं। यदि आप उस पर रोग नहीं लगाएंगे तो क्या स्थिति बनेगी? फिर हमारी खेती पूरी तरह से फर्टीलाइजर पर निर्भर हो जाएगी। किसान दूध का उत्पादन नहीं कर पाएगा तथा और भी कई प्रकार की समस्याएं आएंगी। इसलिए इसके बारे में विचार किया जाना चाहिए। आपने इनपुट्स

मैनेजमेंट की भी इसमें बात की है कि इसमें इनको क्या-क्या सुविधाएं दी जानी चाहिए National Seeds Grid will be established to ensure supply of seeds especially to areas affected by natural calamity. नैचुरल कैलामिटीज को रोकना, सीड्स की व्यवस्था करना इनसेंटिव फॉर ऐग्रीकल्चर में जो आपने बात की है, निश्चित रूप से उसमें हमको सब्सिडी के बारे में पुनर्विचार करना चाहिए क्योंकि स्थिति यह है कि विदेशी में आज अनेक देश ऐसे हैं जो आज डब्ल्यू.टी.ओ. की बात करते हैं या बाकी के सारे समझौते की बात करते हैं लेकिन उनके देश में ऐग्रीकल्चर पर सर्वाधिक सब्सिडी है, वे बहुत सब्सिडी दे रहे हैं। लेकिन हमसे जब समझौता होता है, हमारी उत्पादन वाली बात होती है और आयात-निर्यात की बात होती है तो हमारे यहां सबसिडी घटाने पर जोर दिया जाता है और इसका कारण यह हो रहा है कि पिछले पांच-छः वर्षों में किसानों को मिलने वाली सबसिडी धीरे-धीरे कम होती चली जा रही है और उसके कारण किसान की उत्पादन लागत बढ़ती चली जा रही है। उत्पादन लागत बढ़ने का परिणाम होता है कि उत्पादन के बाद भी उसको बचत नहीं हो पाती है, खेती लाभ की व्यवस्था नहीं रहती है और उसी के कारण यह परिस्थिति बनती है कि किसान को आत्महत्या करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। इसलिए आप जो ये सारी बातें कह रहे हैं, इंसेंटिव की बात कर रहे हैं, तो आपको निश्चित रूप से सबसिडी के बारे में बात करनी होगी।

महोदय, डब्ल्यू.टी.ओ. नेगोसिएशन के बारे में बात आई। माननीय मंत्री जी उसके बारे में सब बताएंगे लेकिन जो स्थितियां उसकी हैं, जो केस हम हारे हैं, उसके कारण ये परिस्थितियां बनी हैं लेकिन जहां तक आयात के बारे में कहा जाता है कि आयात ज्यादा हुआ है, मेरे पास जो फिगर्स हैं, उसमें 1998-99 में एग्रीकल्चर इनपुट्स की टोटल वैल्यू 12,584 करोड़ थी जो 2000 में घटकर 11,510 करोड़ रह गई है। 1998-99 में कुल इम्पोर्ट का जो कृषि आयात शेयर प्रतिशत था वह 7.5 था जो 2000 में 5.63 प्रतिशत रह गया है। इस प्रकार से यदि देखा जाए तो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के इम्पोर्ट का जो हल्ला मचाया जाता है कि इसके कारण ये परिस्थिति इस प्रकार की बन रही है, यदि निश्चित रूप से परसेंटवाइज उसे देखें तो वह आयात कम हुआ है।

महोदय, जहां तक सवाल है ऐडिबल ऑयल का, पॉम ऑयल के कारण यह परिस्थिति बनी है लेकिन उसके लिए भी जो सरकार के पास संसाधन थे डब्ल्यू.टी.ओ. के बाद, गैट के डम्पिंग और दूसरा सरचार्ज लगाना, वह सरचार्ज लगाने की कार्यवाही इस सरकार ने एक साल में दो बार की। इस सरकार ने इम्पोर्ट की एक्साइज ड्यूटी दो बार बढ़ाई, एक बार 12 जून को और दूसरी बार 21 नवम्बर को और इस प्रकार से इस सरकार ने अपनी दृढ़ता सिद्ध की है कि कृषि उत्पाद को बचाने के लिए, हिन्दुस्तान के किसान को बचाने के लिए हमको जो भी मीज़र्स उठाने पड़ेंगे, जो भी कदम उठाने पड़ेंगे, जो कुछ उस एग्रीमेंट में हमारे पास हथियार के रूप में उपलब्ध है, निश्चित रूप से उसका उपयोग किया जाएगा। यह उपयोग करके सरकार ने इस दिशा में अपनी सदाशयता का परिचय दिया है।

माननीय उपसभाध्यक्ष जी, मैं एक-दो मिनट और लेकर कनक्लूड करना चाहूंगा। अभी बात आई थी किसान क्रेडिट कार्ड की। आप देखिए कि 70 लाख किसान क्रेडिट कार्ड अभी तक वितरित किए जा चुके हैं। इस सरकार के आने के बाद इन दो सालों में 70 लाख किसानों को क्रेडिट कार्ड दिए जा चुके हैं और 50 साल में एक भी किसान क्रेडिट कार्ड नहीं दिया गया। किसान को जरा सा भी लोन ही दस-बीस या पच्चीस हजार का तो यहां से वहां तक वह कोऑपरेटिव सोसाइटीज के और नेताओं के चक्कर लगाता था। बाकी सबके लिए लोन उपलब्ध

है, एक छोटी सी दुकान वाले को, उसको अपने बिजनेस के लिए उसकी क्रेडिट लिमिट बंध जाती थी, बैंक बना देते थे लेकिन वह किसान के लिए नहीं हो सकता था। आज किसान को किसान क्रेडिट कार्ड योजना के कारण कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है। अपने एग्रीकल्चर के लिए लगने वाली इस प्रकार की आर्थिक व्यवस्था वह आज खुद कर सकता है।

महोदय, किसान के कर्जे भी समय पर माफ किए गए। मध्य प्रदेश में हमारी सरकार थी बी.जे.पी. की 1990 में, 700 करोड़ रुपये के कर्जे हमने माफ किए थे किसानों के। 10,000 रुपए तक जो किसान कर्जदार था, सबका कर्जा माफ किया गया और उसका लाभ किसान को मिला लेकिन फिर कुछ ऐसी नीतियां बनी उसके बाद कि जिनके कारण आज यह परिस्थिति बन गई। फसल बीमा योजना लागू की गई और डॉक्यूमेंट में यह लिखा है कि यह फसल बीमा योजना अब पंचायत स्तर पर लागू की जाएगी। फसल बीमा योजना इस देश में केलव कहने के लिए थी, बताने के लिए थी लेकिन वह ब्लॉक केवल पर होती थी, तहसील लेवल पर होती थी और उसका लाभ किसान को कभी नहीं मिल पाता था लेकिन यह जो नई सरकार.एन.डी.ए. की सरकार किसान के लिए फसल बीमा योजना लाई है, वह फसल बीमा योजना पंचायत लेवल तक लागू हो। कई राज्यों ने इसे लागू किया, कई राज्य लागू नहीं कर रहे हैं, केन्द्र को इस बारे में सख्ती बरतनी चाहिए। मैं माननीय मंत्री जी से कहूंगा कि वे राज्यों को इस बात के लिए निर्देशित करें, बाध्य करें कि वे जल्दी से अपने हिस्से का शेयर दें क्योंकि बहुत सी स्टेट्स अपने हिस्से का शेयर देकर इसको लागू नहीं कर रही हैं, वह आवश्यक है क्योंकि नैचुरल कैलेमिटीज में, इस प्रकार के सूखे में, कई प्रकार की परिस्थितियों में यदि किसान को एकमात्र किसी चीज का सहारा हो सकता है तो इस फसल बीमा योजना का हो सकता है और यह होना चाहिए।

उपसभाध्यक्ष महोदय, अभी बात चली थी डीजल की। माननीय मिश्र जी कह रहे थे डीजल के भाव बढ़ने के बारे में। महोदय, आप जानते हैं कि डीजल, पेट्रोल के भाव किन परिस्थितियों में बढ़े लेकिन राज्य सरकारें अब डीजल के ऊपर सेल्स टैक्स क्यों लगा रही हैं? आज मध्य प्रदेश में 24 परसेंट सेल्स टैक्स लगता है, तीन प्रकार की ड्यूटीज लगती हैं- एंटी टैक्स, सेल्स टैक्स और डेवलपमेंट टैक्स। इनके नाम पर 24 परसेंट टैक्स लग जाता है। तो राज्य सरकारें अपने हिस्से के ये टैक्सेज जिनका उनसे कोई लेना-देना नहीं है, यदि उसको थोड़ा कम करें तो उचित होगा। वे तो किसी प्रकार का सहयोग करने को तैयार नहीं हैं, तो इस प्रकार की परिस्थितियां हैं।

हम जानते हैं कि किसान की स्थिति विकट है। किसान मेहनत करता है, खेती में पसीना बहाता है और उसके पास इसके सिवाए कोई सहारा नहीं है, कोई दूसरा बिजनेस नहीं है। उसको पूरे साल उस पर निर्भर रहना होता है, उसका पूरा परिवार उस पर निर्भर रहता है, उसका भविष्य उस पर निर्भर रहा है। इसलिए निश्चित रूप से इस दिशा में चिंता करने की आवश्यकता है। मेरा दूसरा अंतिम सुझाव है, जैसे लोग आलू पैदा करते हैं, सोयाबीन पैदा करते हैं और कपास पैदा करते हैं तो इनके लिए सीड्स बहुत महंगे मिलते हैं। सारे इलाकों में आलू बोने के लिए शिमला का सीड लेकर जाना पड़ता है। यदि सीड इतना महंगा होगा तो प्रोडक्शन कास्ट बहुत ज्यादा हो आ जाएगी। जब किसान उसको मंडी में बेचने जाता है तो उसको पूरा मूल्य नहीं मिलता है और उसकी स्थिति खराब हो जाती है। इसलिए सस्ते सीड तैयार किए जाएं। हमारे यहां आलू अनुसंधान में काम हुआ है, प्रोडक्शन भी हुआ है और उस पर काफी रिसर्च हो रहा है। केवल आलू के सीड की बात नहीं है और भी सीड हैं। आपने सीड की बात इसमें रखी है तो निश्चित रूप से जितना सस्ता सीड हम किसान को उपलब्ध कराएंगे, जितनी कृषि पर लागत कम

आएगी, जिस प्रकार उसको सब्सिडी या अन्य सहायता दे पाएंगे, वह सर्वाइव कर पाएगा। उसी में वह अस्तीत्व को रख सकता है और खेती को लाभकारी खेती को लाभकारी खेती में परिवर्तित कर सकता है। यदि खेती लाभकारी खेती में परिवर्तित हो गई तो निश्चित रूप से हमारी यह पूरी रुरल इकनोमी सट्ट हो सकती है और इन सुझावों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ।

SHRI S. RAMACHANDRAN PILLAI (Kerala): Mr. Vice-Chairman, Sir, the peasants and agricultural workers in this country are in great distress. They are expressing their anger and protest through spontaneous struggles. Some of these are organised struggles; some are small and some are big. On the 30th of November, seven organisations of peasants and agricultural workers are holding a massive rally in Delhi, demanding from the Government protection for the peasants and agricultural workers so as to save the agriculture and to save the country.

Mow. -n many parts of the country, the peasants and agricultural workers have been forced to commit suicide. They are selling their children. Some of them are coming to metropolitan cities to sell their kidneys for earning their livelihood and also for repaying their debts. Poverty is expanding to newer sections and newer areas. Unemployment is rising. The alienation of land is taking place at a faster pace. Indebtedness of peasants and agricultural workers is growing. If we look at the rural countryside, we can see the old money lender in a new dress coming into the rural countryside and exploiting both the peasants and the agricultural workers. The pauperisation of the small and medium sections is also taking place at a faster pace. If you look at the life in the countryside, you find that backwardness still exists; the great unevenness is still there; some parts are advanced; some parts are backward. We are not finding a solution to this problem. This great unevenness is growing, if you look at the condition of the agricultural workers, Sir, we find that their real wages are declining; the number of workdays is also declining. Then, big ecological changes are taking place, making an adverse impact on agriculture and creating problems for the peasants and agricultural workers, If you look at the impact of the adverse effect of natural calamities, this adverse effect is also increasing year after year and season after season, because the Government is not taking any steps to find either short-term or long-term measures to remedy the adverse effects of natural calamities,

SIR . if you look at the whole aspect as to why this is happening even after 50 years of Independence .. (*Interruptions*).

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SANTOSH BAGRODIA): It is five o'clock and I have to take the sense of the House.

श्री संघ प्रिय गौतम(उत्तरांचल): सब लोग कह रहे हैं कि आज ही समाप्त करिए, बड़ी गंभीर और महत्वपूर्ण चर्चा है।

उपसभाध्यक्ष(श्री संतोष बागडोदिया): आज समाप्त करने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है। जैसा हमारा हाउस तय करे क्योंकि साढ़े सात, आठ बज जाएंगे। जितने नाम मेरे पास हैं आप उन्हें सोचकर बोलिए।

श्री माननीय सदस्य: बीस नाम हैं।

उपसभाध्यक्ष(श्री संतोष बागडोदिया): बीस नहीं है, बाइस नाम है।

श्री संघ प्रिय गौतम: जैसा आप चाहें।

उपसभाध्यक्ष(श्री संतोष बागडोदिया): मंत्री महोदय क्या कह रहे हैं?

कृषि मंत्री(श्री नीतीश कुमार): उपसभाध्यक्ष जी, हुकुम तो आपके हाथ में है, जैसा आप कहेंगे। कल जारी रखना चाहें तो भी हम तैयार हैं। आपकी इच्छा है।

श्री दीपांकर मुखर्जी (पश्चिमी बंगाल): गौतम जी भी राजी हो गए हैं।

श्री संघ प्रिय गौतम: लीडर ऑफ दि-ओपोजिशन जो कह देंगे वह मान लेंगे।

THE VICE-CHAIRMAN 'SHRI SANTOSH BAGRODIA)- As per the decision of the House, we will take up this matter immediately after the Question Hour.

I now adjourn the House till 11 o'clock tomorrow.

The House then adjourned at two minutes past five of the clock, till eleven of the clock on Tuesday, the 28th November, 2000.